प्रेस नोट

थाना राठ   दिनांक 29.05.2024

थाना राठ पुलिस द्वारा लूट करने वाले 03 अभियुक्त, लूटे गए रुपये, मोबाईल फोन व अवैध तमंचा/ कारतूस के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राठ पुलिस द्वारा आज दि0- 29.05.2024 को 03 अभियुक्तों को मल्हवा चौराहे से करीब 200 मी0 पहले कस्बा व थाना राठ के पास गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 27.05.2024 को शिवराम सोनी पुत्र बारेलाल सोनी नि0 ग्राम अनघौरा थाना चरखारी जनपद महोबा से वहवासा नाला के पास ग्राम बदनपुरा थाना राठ जिला हमीरपुर से 500/- रुपये व एक मोबाईल फोन लूटकर और वहां पर बैठे अन्य लोगो को धमका कर मुख्य मार्ग राठ की तरफ फरार हो गये थे।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 28.05.2024 को श्री शिवराम सोनी पुत्र बारेलाल निवासी ग्राम अनघौरा थाना चरखारी जनपद महोबा ने लिखित तहरीर के माध्यम से बताया कि वह अपने साथी रमेश राजपूत पुत्र उत्तम के साथ अपने घर अनघौरा जा रहे थे कि जैसे ही बसवाहा नाला रपटा थाना राठ से पहले पहुंच कर कुइया से पानी पीने लगे तभी एक अपाचे बाइक पर तीन लोग सवार होकर दि0- 27.05.2024 को समय करीब 13:30 बजे आए वादी के सिर पर तमंचा लगाकर पैसे व मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। जिसके सम्बन्ध पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 233/24 धारा 392 भादसं बनाम अपाचे बाइक पर सवार तीन अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुध्द पंजीकृत किया गया। थाना राठ पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए गए। पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया।

अभियुक्तों से पूँछताछ-

पकड़े गये अभियुक्तों से बरामद मोबाइल, गाड़ी व पैसों के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ की गई तो अभियुक्तों के द्वारा बताया कि दिनांक 27/05/2024 को ग्राम बदनपुर बनी कुइयां के पास से हम तीनों ने मिलकर यह मोबाइल व रुपये को लूट लिये थे मिले हुए पैसों को हम लोगों ने आपस में बाट लिये थे जो हम लोगों के पास है । बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में पकड़े गये अभियुक्तों से पूछताछ किया गया तो मनीष राजपूत द्वारा बताया गया कि इसी मोटरसाइकिल से हम लोग जगह-जगह वारदात करते हैं व इसी मोटरसाइकिल से दिनांक 27/05/2024 को बदनपुर बनी कुइयां के पास से हम लोग लूट करके भाग गये थे । अभियुक्त मनीष राजपूत से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने के आधार पर धारा 34/387/411 भा0द0सं0 व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी किया गया । मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण को गिरफ्तारी व बरामदगी कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.मनीष राजपूत पुत्र राजेश राजपूत नि0 ग्राम लींगा थाना राठ जनपद हमीरपुर उम्र करीब 22 वर्ष

2.दशरथ प्रजापति पुत्र दुर्जन प्रजापति नि0 मु0 हरीसिंह थोक कस्बा व थाना मटौंध जनपद बांदा उम्र करीब 20 वर्ष

3.खेमचन्द्र राजपूत पुत्र अवध सिंह नि0 मु0 नौसारा थाना चरखारी जनपद महोबा उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास मनीष पुत्र राजेश राजपूत

1. मु0अ0सं0 207/2024 धारा 323/341/504/506 भा0द0सं0 थाना राठ

आपराधिक इतिहास खेमचन्द्र पुत्र अवध सिंह

1.मु0अ0सं0 27/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चरखारी जनपद महोबा

2.मु0अ0सं0 144/2022 धारा 147/148/149/307/323/325/34/452/504/506 भा0द0सं0 थाना महोबकंठ जनपद महोबा

बरामदगी

अभियुक्त मनीष राजपूत पुत्र राजेश राजपूत उपरोक्त से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस व लूटा हुआ 300/- रुपये , अभियुक्त दशरथ प्रजापति पुत्र दुर्जन प्रजापति से लूटा हुआ 200/- रुपये व अभियुक्त खेमचन्द्र राजपूत पुत्र अवध सिंह से लूटा हुआ एक अदद मोबाईल फोन रीयलमी सी 33 रंग हरा/आसमानी बरामद हुआ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्र0नि0 उमेश कुमार सिंह

2.उ0नि0 दिनेश चन्द्र त्रिपाठी

3.उ0नि0 मनोज पाण्डेय

4.उ0नि0 यूटी सुरेन्द्र कुमार

5.का0 विजय प्रताप यादव